राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग

क्रमांक एफ 6 (7) प्र.सु./अनु.–3/2015/ जयपुर, दिनांक 5-2-2015

आज्ञा

केन्द्र सरकार द्वारा हाथ से मैला ढोने वाले कार्मिकों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुर्नवास अधिनियम 2013 की धारा 26 (1) के क्रम में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण राज्य स्तरीय सतर्कता समिति का गठन महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से एतद्द्वारा किया जाता है:–

1. मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग – अध्यक्ष
2. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग एवं अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिनिधि – सदस्य
3. अध्यक्ष, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग एवं अनुसूचित जाति आयोग – सदस्य
4. विधायक कोटे से 26 (1) (ई)–
   श्री रामचन्द्र विधायक, डग, झालावाड, सदस्य राज्य विधानसभा – सदस्य
   श्री कैलाश वर्मा विधायक, बगरू, जयपुर, सदस्य राज्य विधानसभा – सदस्य
5. पुलिस महानिदेशक – सदस्य
6. प्रमुख शासन सचिव, साामजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग – सदस्य
7. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग – सदस्य
8. प्रमुख शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग – सदस्य
9. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत शासन विभाग – सदस्य
10. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित एक माहनगर पालिका, जिला परिषद्, कन्टोनमेन्ट बोर्ड एवं रेल्वे से संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी – सदस्य
11. अस्वच्छकारों के कल्यारार्थ और उनके पुनर्वास से जुडे सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि 26 (1) (आई)
    पुरूष संवर्ग
    (i) श्री पुखराज तेजी पुत्र श्री कैसाराम तैजी, एडवोकेट मोमासर बास, वाल्मिकि बस्ती,वार्ड नं. 4, श्री डूंगरगढ–331803, बीकानेर – सदस्य
    (ii) श्री चन्द्रप्रकाश चौहान (टाईसन) पुत्र श्री रामचन्द्र चौहान, बी–6, पांचबत्ती, नेहरू कॉलोनी, जोधपुर। – सदस्य
    महिला संवर्ग
    (iii) श्रीमती चन्दा नकवाल पत्नी श्री भारत नकवाल, 258 श्यामपुरी, हीदा की मोरी, गांधी सर्किल के पास, रामगंज बाजार, जयपुर। – सदस्या
    (iv) नीलम डाबोडिया पुत्री श्री ओमप्रकाश डाबोडिया, पटेल नगर, महेश नगर, जयपुर। – सदस्या
12. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सदस्य – सदस्य
13. अधिनियम की कियान्विति हेतु राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले विभाग/एजेन्सी के प्रतिनिधि – सदस्य
14. निदेशक, साामजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग – सदस्य सचिव

गठित समिति वर्णित अधिनियम के प्रावधानों के राज्य स्तर पर कियान्वयन समस्त विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर अस्वच्छकारों के आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास की मॉनिटर करेगी एवं अधिनियम की प्रभावी कियान्विति हेतु राज्य सरकार को सलाह देने से संबंधित कार्यों का निष्पादन करेगी।

अधिनियम के प्रावधानुसार समिति की बैठक प्रत्येक 6 माह में एक बार किया जाना आवश्यक होगा। समिति का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा।

उप शासन सचिव
5/2/15

क्रमांक एफ 6 (7) प्र.सु./अनु.–3/2015/ जयपुर, दिनांक 5.2.15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. राष्ट्रीय, सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली।
4. सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, गृह/वित्त/पंचायतीराज/स्वायत्त शासन /सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त समिति सदस्य श्री/श्रीमती .....
7. मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, गृहं/वित्त/ पंचायतीराज/ स्वायत्त शासन/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. महाप्रबन्धक, उत्तर पश्चिम, रेल्वे, राजस्थान, जयपुर।
9. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
10. राष्ट्रीय, अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली।
11. राज्य, अनुसूचित जाति आयोग, राजस्थान, जयपुर।
12. राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, राजस्थान, जयपुर।
13. सम्बन्धित मुख्य· कार्यकारी अधिकारी, महानगर पालिका/नगर परिषद्/कन्टोनमेन्ट बोर्ड,.....
14. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति .....
15. समस्त जिला कलक्टर, ...
16. समस्त पुलीस अधीक्षक .....
17. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
18. निदेशक/आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
19. महाप्रबन्धक, अनु. जाति एवं जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. जयपुर।
20. गार्ड फाईल

अनुभाग अधिकारी